प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 27 जून, 2025

विषयः- जिला कारागार, कानपुर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मदन पुत्र स्व0 रज्जन, निवासी जनपद-कन्नौज की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-19923/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-07.06.2023), दिनांक 16.06.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, कानपुर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मदन पुत्र स्व0 रज्जन, नई बस्ती बंगलावीर, थाना-कोतवाली, जनपद-कन्नौज का निवासी है। दहेज की मांग पूरी न होने के कारण बंदी ने दिनांक 16.04.2008 को अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर आग लगाकर अपनी पत्नी रोली की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1596/2008 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0, कोर्ट सं0-41, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 13.07.2018 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 08.08.2022 द्वारा निर्णीत करते हुए उक्त सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 13.04.2023 तक 14 वर्ष 07 माह 13 दिन की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में पुनः अपराध कारित किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी द्वारा दहेज हत्या का जघन्य अपराध कारित किया गया है, उक्त के दृष्टिगत रखते हुए समयपूर्व रिहा किया जाना जनहित में उचित नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दहेज की मांग पूरी न होने के कारण दिनांक 16.04.2008 को बंदी द्वारा अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर आग लगाकर अपनी पत्नी रोली की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मदन पुत्र स्व0 रज्जन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, कानपुर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मदन (बंदी संख्या-566/18) पुत्र स्व0 रज्जन, निवासी जनपद-कन्नौज के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-639/2025/2630(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, कानपुर नगर।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-639/2025/2630/22-2-2023-17(903)/2023

दिनांक 27 जून, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, कानपुर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मदन पुत्र स्व0 रज्जन, नई बस्ती बंगलावीर, थाना-कोतवाली, जनपद-कन्नौज का निवासी है। दहेज की मांग पूरी न होने के कारण बंदी ने दिनांक 16.04.2008 को अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर आग लगाकर अपनी पत्नी रोली की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1596/2008 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0, कोर्ट सं0-41, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 13.07.2018 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 08.08.2022 द्वारा निर्णीत करते हुए उक्त सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 13.04.2023 तक 14 वर्ष 07 माह 13 दिन की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में पुनः अपराध कारित किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी द्वारा दहेज हत्या का जघन्य अपराध कारित किया गया है, उक्त के दृष्टिगत रखते हुए समयपूर्व रिहा किया जाना जनहित में उचित नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दहेज की मांग पूरी न होने के कारण दिनांक 16.04.2008 को बंदी द्वारा अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर आग लगाकर अपनी पत्नी रोली की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मदन पुत्र स्व0 रज्जन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।